

(पृष्ठ 8 का शेष)

12.	कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में काम कर रहे हैं या फीडर ग्रेड में हैं या फीडर से फीडर ग्रेड में हैं।		
13.	क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हाँ, तो वह तिथि बताएं जिससे संशोधन हुआ और पूर्ण संशोधित स्तर भी बताएं।		
14.	प्रति माह आवारंत कुल परिलब्धियां		
	पीढ़ी में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां
15.	यदि आवेदक किसी ऐसे संगठन से संबंधित है जो केन्द्र सरकार के वेतनमान का पालन नहीं करता है, तो संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची, जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाया गया हो, संलग्न की जाए।		
	वेतनमान और वेतन वृद्धि दर के साथ मूल वेतन	महंगाई वेतन/अंतरिम राहत अन्य भत्ते आदि, (विवरण सहित)	कुल परिलब्धियां
16. ए	अंतिरिक्त जानकारी कोई कोई हो, जिसे आप घट के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहते हो (इसमें अन्य बातों के अलावा (i) अंतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) रिक्त परिपत्र/विज्ञापन में निर्मार्गत कार्य अनुभव के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है) (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग शीट संलग्न करें)		
16. बी	उपलब्धियां :- उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के संबंध में जानकारी दें:- (i) शोध प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजनाएं (ii) पुस्तकार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशंसन (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं/समाजों से संबंधित और; (iv) अपने नाम से पंखीकृत या संगठन के लिए प्राप्त पेटेंट (v) आधिकारिक मानवता से संबंधित कोई शोध/ नवाचार उपाय (vi) कोई अन्य जानकारी (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न करें)		
17.	कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्त (आईएसटीसी) / आमेलन / पुनर्नियोजन के अधार पर आवेदन कर रहे हैं. # (केंद्र / राज्य सरकारों के अंतर्गत अधिकारी के बतल "आमेलन" के लिए पात्र हैं, गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार के बारे अल्पकालिक अनुभव के लिए पात्र हैं)		
	# ('एसटीसी' / 'आमेलन' / 'पुनर्नियोजन' का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब रिक्त परिपत्र में विशेष रूप से "एसटीसी" या "आमेलन" या "पुनर्नियोजन" द्वारा भर्ती का उल्लेख दिया गया हो).		
18.	क्या आप एसटी/एसटी से संबंधित हों।		

मैंने रिक्त परिपत्र/विज्ञापन को ज्ञानपूर्वक पढ़ा है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवश्यक योग्यता/कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों द्वारा समर्थित बायोडाटा में दी गई जानकारी का भी चयन समिति द्वारा पद के लिए चयन के समय मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी/विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही और सत्य हैं और मेरे चयन पर प्रभाव डालने वाला कोई भी नहीं है।

दिनांक :

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पता:

नियोक्ता/संबंधि नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

1. आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी/विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य एवं सही है। आवेदक के पास रिक्त परिपत्र में डिलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव है। यदि चयन होता है, तो उसे तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि;

(i) श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

(iii) उनका सीधे और छोटी भूल रूप में संलग्न है/भारत सरकार के अवर सचिव या उससे ऊपर के रैकेट के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्षों के एस्टीआर की फोटोकॉपी संलग्न है।

(iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर कोई बड़ा/छोटा दंड नहीं लगाया गया है, अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर लगाए गए बड़े/छोटे दंडों की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो)।

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोक्ता/संबंधि नियंत्रण प्राधिकारी मुहर सहित)

अनुलग्नक-11

बॉरोडेंग/मूल विभाग/कार्यालय द्वारा व्याप्त दिए जाने वाले बिंदुओं को मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन के लिए कार्यिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र में उजागर किया जाएगा।

1. यदि किसी अधिकारी पर छोटा दंड लगाया गया है, तो सामान्यतः सजा की अवधि के बाद 3 वर्ष की अवधि के लिए सर्तरक्ता बलीयरेस नहीं दी जाएगी। बड़ा दंड लगाए जाने की स्थिति में, कार्यिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/11/2007-स्था. (ए.) के अनुसार सामान्यतः सजा की अवधि के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए सर्तरक्ता बलीयरेस नहीं दी जाएगी।

2. उन अधिकारियों के संबंध में आवेदन अग्रेषित करते समय, जो शीघ्र ही अपनी 'कूलिंग-ऑफ' अवधि पूरी करने वाले हैं, कार्यिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.2/1/2012-स्था. (वेतन II) दिनांक 04.01.2013 में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

3. आवेदन प्रारूप की एक प्रति बॉरोइंग डिपार्टमेंट (Borrowing Departments) द्वारा अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन के साथ वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में डाउनलोड करने योग्य के रूप में उपलब्ध कराई जाए.
4. रोजगार समाचार में नामांकन आमंत्रित करने/प्रकाशन के समय पहले से मौजूद रिक्ति के मामले में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के संदर्भ में पात्रता निर्धारित की जा सकती है. प्रत्याशित रिक्ति के मामले में, पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायिक तिथि वह तिथि होनी चाहिए जिस दिन रिक्ति आने की उम्मीद है.
5. रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में यह प्रमुखता से उल्लेख किया जाना चाहिए कि उम्मीदवारों द्वारा दावा की गई योग्यता और अनुभव के समर्थन में सहायक प्रमाण पत्र/दस्तावेजों के बिना आवेदन/सीधी को चयन के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रोसेस्ड नहीं किया जाएगा.
6. आवेदकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायिक तिथि की गणना रोजगार समाचार में रिक्ति/पद के प्रकाशन की पहली तिथि को छोड़कर की जाएगी. अर्थात् 18-24 जनवरी 2014 के रोजगार समाचार में प्रकाशित रिक्ति के लिए निर्णायिक तिथि की गणना 19 जनवरी 2014 (प्रकाशन की पहली तिथि को छोड़कर) से की जाएगी.
7. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन जो केंद्र सरकार के वेतनमानों का पालन नहीं करते हैं, में कार्यरत आवेदकों की पात्रता के निर्धारण को सुगम बनाने के लिए, उनके समकक्ष वेतनमान/पदों की पुष्टि बॉरोइंग डिपार्टमेंट (Borrowing Department) द्वारा की जा सकती है. जहां आवश्यक हो, इस संबंध में विवरण लेंडिंग डिपार्टमेंट (Lending Department) द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है.